



DR. RAMMANOR LOHIA AVADH UNIVERSTY, AYODHYA(U.P.)

डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/अनापत्ति/2020/746

दिनांक 29.02.2020

अनापत्ति

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012- 2(166)/2012 दिनांक: 09 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश सं० 23/2016/ 772/सत्तर- 2-2016(116)/115,टी०सी० II दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार स्वावित्तपोषित योजना अन्तर्गत पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, की अध्यक्षता में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2020/1370 दिनांक: 13.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.02.2020 में की गई अनुशंसा के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व संचालित महाविद्यालय भवदीय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सीवार, सोहावल, अयोध्या को स्वावित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एम०कॉम०, एम०लिब०, एम०एस-सी०(कृषि), एम०एस०डब्लू विषय/पाठ्यक्रम के शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। शर्तें एवं विवरण निम्नवत हैं :-

1. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु:- परास्नातक ।
2. अ-अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय:- कृषि विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय ।
ब-अनापत्ति से सम्बन्धित विषय:- परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०एस-सी०(कृषि), एग्रोनामी, जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग, इन्टेमोलॉजी, कला संकाय के अन्तर्गत एम०लिब०, एम०एस०डब्लू, वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०कॉम० पाठ्यक्रम ।
3. महाविद्यालय के अनापत्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रम महाविद्यालय को निर्गत पूर्व अनापत्ति की भूमि ग्राम सीवार, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल, जिला अयोध्या, की भूमि/गाटा 1173/2.487हे० में से 0.838हे०, 1187क/0.228हे०, 1191क/0.177हे०, 1193/0.161हे०, 1193/0.161हे०, कुल रकबा 1.243हे० पर संचालित किया जायेगा। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/विषयों को उक्त भूमि के गाटों के अन्यत्र संचालित किया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
4. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
5. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों शासनादेश दिनांक: 14 नवम्बर 2014 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। शासनादेश द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. उक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रू० 100/- (रू० एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन की एक सप्ताह की समयवधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।
7. उपरोक्त पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
8. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2(0166) /2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेग

9. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ०प्र० शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
10. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
11. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
12. अनापत्ति आदेश में अंकित एम०एस-सी०(कृषि) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता आगामी सत्र के अनुगामी सत्र से देय होगी।
13. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, भवदीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीवार, सोहावल, अयोध्या।
- ✓ 3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. पत्रावली।

अपि
उप कुलसचिव
29/4/2020